

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2017 को आयोजित विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. हर घर नल-जल योजना एवं नाली-गली योजना के MIS Software के संबंध में श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि MIS Software पूर्णतः तैयार हो गया है।

निर्देश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आज ही इसका Presentation कराया जाय और दोनों योजनाओं का MIS Software का शुभारंभ शीघ्र कराया जाय।

(अनुपालन :- श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता / Team Leader, MIS)

3. नगर निकाय क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी सड़कों यथा पथ निर्माण विभाग की सड़कें, नगर निकाय की सड़कों की वार्डवार, रोड का नाम, रोड की चौड़ाई एवं लंबाई की पूर्ण सूची सभी नगर निकायों से प्राप्त करके विभागीय वेबसाइट पर index बनाकर अपलोड किया जाय। इस हेतु format तैयार कर लिया जाय।

(अनुपालन :- श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता)

4. AMRUT योजनांतर्गत PDMC के चयन हेतु नोडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि इस हेतु SLTC एवं SHPSC की स्वीकृति प्राप्त की जानी है या नहीं, इस संबंध में मंत्रालय से जानकारी प्राप्त की जाय।

(अनुपालन :- श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता)

5. श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि AMRUT योजनांतर्गत पार्क निर्माण की 07 योजनाएं स्वीकृत हो गयी है एवं 01 योजना की स्वीकृति अभी होनी है। कुल 08 पार्क निर्माण की योजनाओं का SLTC में Appraisal किया जाना है तथा 09 जलापूर्ति योजनाओं (डेहरी, बेतिया, दरभंगा को छोड़कर) का SLTC में Appraisal किया जाना है।

निर्देश दिया गया कि पार्क निर्माण की योजनाओं के प्राक्कलन बनाने हेतु प्रति वर्गफीट के आधार Rules तैयार किया जाय। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में निर्देश दिया गया है कि पार्क निर्माण के प्राक्कलन में पक्का Structure कम से कम निर्माण किया जाना है ताकि राशि का अपव्यय नहीं हो। अतः इस संदर्भ में उक्त सभी योजनाओं के प्राक्कलन को पुनः देख लिया जाय। यदि इन योजनाओं के प्राक्कलन में पक्का पाथवे/मार्बल/पक्का Structure आदि शामिल हैं तो उसे हटाया जाय।

(अनुपालन :- श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता)

6. निर्देश दिया गया कि MIS Cell के दूरभाष का विपत्र एवं विभागीय हेल्पलाईन नं० के विपत्र का भुगतान का वहन ई०गवर्नेस मद की राशि से किया जाय तथा विभागीय हेल्पलाईन नं० को एक सप्ताह के अंदर कार्यरत कराया जाय।

(अनुपालन :- श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव)

7. विभागीय अभियंत्रण कोषांग एवं श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु अलग-अलग टेलीफोन कनेक्शन अधिष्ठापित किया जाय तथा विभाग में अधिष्ठापित टेलीफोन, इंटरकॉम, EPBAX के रखरखाव हेतु एजेंसी के साथ AMC करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :- श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव)

8. विभागीय योजनाओं के निविदा संबंधी TA/TS की अद्यतन स्थिति को विभागीय वेबसाईट पर मॉड्यूल बनाकर अपलोड किये जाने के संबंध में प्रोग्रामर, आई०टी० सेल द्वारा बताया गया कि NIC द्वारा 40 TA/TS को अपलोड किया गया है, जिसे कल दिनांक 20.09.2017 तक NIC द्वारा वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

निर्देश दिया गया कि वर्ष 2016-17 की सभी निविदाओं तथा 01.04.2017 से निविदा एवं इस संबंध में सभी संबंधितों के साथ किये गये पत्राचार को भी इस मॉड्यूल में अपलोड किया जाय तथा नियमित रूप से इसका अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु NIC के साथ नियमित समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :- श्री अमितेष्ट, आई०टी० मैनेजर)

9. प्रशाखा पदाधिकारी-9 द्वारा बताया गया कि विभाग में प्राप्त होने वाले आरोप संबंधी सभी पत्रों का समेकित रूप से प्रपत्र में कम्प्यूटराईज्ड तैयार किया जा रहा है। इनके द्वारा अभी तक मात्र 17 पत्रों के संबंध में ही प्रपत्र में प्रविष्टि की गयी है। निर्देश दिया गया कि अगले सप्ताह तक सभी पत्रों को प्रपत्र में अंकित किया जाय एवं नियमित रूप से इसका अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदा०-9)

10. प्रशाखा-2 एवं 5 में विधानमंडलीय मामले सर्वाधिक लंबित प्रतिवेदित हैं। प्रशाखा पदाधिकारी-2 को निर्देश दिया गया कि वर्ष 1995 से 2010 तक के आश्वासन सिमति के सभी मामले का प्रतिवेदन शीघ्र विधानमंडल को भेजा जाय। प्रतिवेदन तैयार करने हेतु यदि आवश्यकता हो तो मामले से संबंधित नगर निकायों के साथ बैठक आयोजित करके अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदनों को वर्षवार समेकित करके अवलोकन हेतु उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :- प्र०पदा०-2, 5 एवं 6)

11. प्रशाखा पदाधिकारी-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पर्याप्त समय नहीं मिल पाने के कारण ULB Structure का Cadre Rules अभी तैयार नहीं हो पाया है। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि ULB Structure के साथ बिहार नगर सेवा के कर्मियों के लिए Cadre Rules इस सप्ताह में अनिवार्य रूप से तैयार कर संचिका में उपस्थापित कर दिया जाएगा।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)

12. श्री राहुल कुमार, CA द्वारा अन्य राज्यों में नगर निकायों में ग्रुप-सी० एवं डी० की नियुक्ति प्राधिकार एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में समेकित प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे बैठक के क्रम में दिखाया गया। इनके द्वारा प्रतिवेदन में मात्र अन्य राज्यों के नियमावली को अंकित किया गया है। प्रतिवेदन में नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी अंकित नहीं की गयी है कि नियुक्ति किस-किस स्तर से की जा रही है।

निर्देश दिया गया कि अन्य राज्यों में नगर निकायों में नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करके 2 दिनों के अंदर समेकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय ताकि विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। (अनुपालन :- श्री राहुल कुमार, CA)

13. मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस बार पुरस्कार के चयन हेतु ODF का मापदंड निर्धारित किया गया है एवं इसी आधार पर पुरस्कार हेतु नगर निकाय का चयन किया जाएगा। प्रशाखा पदाधिकारी-5 को निर्देश दिया गया कि सरकार के इस निर्णय सभी जिला पदाधिकारियों एवं नगर निकायों को पत्र के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-5)

14. निर्देश दिया गया कि HFA योजनांतर्गत CLSS की जनसाधारण की जानकारी हेतु दैनिक समाचार पत्रों में बड़े-बड़े अक्षरों में Add प्रकाशित करायी जाय एवं इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाय ताकि नागरिक इससे पूरी तरह अवगत हो सके। (अनुपालन :- श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक)

15. राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में ODF का अभियान चलाया जा रहा है एवं दिसम्बर, 2017 तक राज्य के सभी नगर निकायों को ODF घोषित किया जाना है तथा ODF के अभियान की सफलता हेतु मोबाईल टॉयलेट के क्रय की भी आवश्यकता होगी। प्रबंध निदेशक, बुडको को इस संबंध पत्र भेजा जाय कि वर्तमान में बुडको द्वारा मोबाईल टॉयलेट के क्रय हेतु निर्धारित राशि काफी अधिक है, जिसे मार्केट सर्वे करके शीघ्र संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि मोबाईल टॉयलेट का क्रय किया जा सके।

(अनुपालन :- श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

16. जिले के प्रभारी नोडल पदाधिकारियों द्वारा अपने प्रभार के नगर निकायों के पूर्णतः ODF घोषित किये जाने के संबंध में पूछे जाने पर निम्नवत नगर निकाय हेतु समयावधि बतायी गयी :-

श्री संजय दयाल, विशेष सचिव	:- हाजीपुर (नवम्बर के अंत में)
श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव	:- वीरपुर (नवम्बर के अंत में)
श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक	:- फुलवारी शरीफ (नवम्बर के अंत में)
श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभि०	:- अरेशज (नवम्बर के अंत में)
श्री हरिशंकर, सहायक नगर निवेशक	:- कहलगँव (अक्टूबर के अंत में)
श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता	:- महाराजगंज (अक्टूबर के अंत में) तथा सीवान (नवम्बर के अंत में)
श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभि०	:- डुमरांव (नवम्बर के अंत में)
श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०	:- जहानाबाद (20 नवम्बर तक)
श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक	:- बिहार शरीफ (अक्टूबर के अंत में) तथा हिलसा (नवम्बर के अंत में)
श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता	:- बोधगया (नवम्बर के अंत में)
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव	:- विक्रमगंज, नोखा एवं नासिरीगंज (15 नवम्बर तक)

सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उक्त अवधि तक संबंधित नगर निकायों को पूर्णतः ODF घोषित करने हेतु नगर निकायों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाय तथा राज्य के सम्पूर्ण नगर निकायों में ODF हेतु निर्धारित अवधि दिसम्बर, 2017 तक पूर्णतः ODF घोषित करने हेतु समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :- जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)

17. प्रशाखा पदाधिकारी-5 द्वारा बताया गया कि CWJC के 88 मामलों में 47 मामले SOF हेतु अधिवक्ता के पास भेजे गये हैं तथा 22 मामले में ओथ हो चुका है।

प्रशाखा पदाधिकारी-8 को निर्देश दिया गया कि पैनल अधिवक्ता को ओथ के आधार ही उनके मानदेय राशि का भुगतान किया जाय।

(अनुपालन :- संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी)

18. श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कई नगर निकायों में नये निकाय बोर्ड द्वारा नाली-गली योजना की पूर्व निर्धारित प्राथमिकता सूची को परिवर्तित करके निविदा प्रकाशित कर दी जा रही है एवं पटना नगर निगम में हाल ही में प्राथमिकता सूची बदलकर निविदा किये जाने के कारण निविदा को भी निरस्त किया गया है।

इस संबंध में पूर्वमें विभाग स्तर से नगर निकायों को पत्र भेजा गया है कि प्राथमिकता सूची को नहीं बदला जाएगा। निर्देश दिया गया कि पुनः सभी नगर निकायों को पत्र भेजा जाय कि किसी भी परिस्थिति में नये निकाय बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित प्राथमिकता सूची को नहीं बदला जाएगा एवं इसके लिए संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

(अनुपालन :- श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता)

19. सभी नगर निकायों में इस माह में अगले शिविर का आयोजन द्वितीय शनिवार (दिनांक 14.10.2017) को होना निर्धारित है एवं अगले माह (नवम्बर) में भी द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रशाखा पदाधिकारी-4 द्वारा शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी नगर निकायों को पत्र भेजा जाय।

इस संबंध में जिले के सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शिविर के सफल आयोजन हेतु अपने प्रभार के जिले के नगर निकायों से समन्वय करेंगे एवं शिविर स्थल पर उपस्थित रहेंगे तथा शिविर की तिथि को ही अप० 05:00 बजे प्रगति प्रतिवेदन ई०-मेल के माध्यम से विभागीय MIS Cell को उपलब्ध कराएंगे एवं नगर निकाय में सामुदायिक शौचालय, मुख्यमंत्री निश्चय योजना आदि का अनुश्रवण एवं समीक्षा बैठक भी करेंगे।

(अनुपालन :- जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्र०पदा०-4)


20. हाल ही में विभागीय मंत्री द्वारा मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है कि कई जिला पदाधिकारियों द्वारा नगर पंचायत के गठन में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिला पदाधिकारियों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में नये नगर पंचायत का गठन/उत्क्रमण विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें कई मामले में विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। अतः इस हेतु एक पॉलिस का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

प्रशाखा पदाधिकारी-5 को निर्देश दिया गया कि नये नगर पंचायतों के गठन/उत्क्रमण के संबंध में एक पॉलिसी तैयार की जाय।


(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-5)

21. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
10/10/2017  
(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6635 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 11/10/17  
प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/SPMG कोषांग/Team Leader, MIS/ Team Leader, DEAS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
10/10/2017  
प्रधान सचिव

➤ प्रशाखा-01 :-

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ प्रशाखा-02 :-

1. सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्यवाही करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मददेनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. स्ट्रीट लाईट :-

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

### 3. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

### 4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

### ➤ प्रशाखा-03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

### 2. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

### 3. शहरी परिवहन :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।

### 4. सबके लिए शौचालय :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए हैं उनको सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसे आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

### 5. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रतत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

### 6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

### 7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

### ➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-

- (i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

### ➤ प्रशाखा-04 :-

#### 1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना। -
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रतत्तर कार्रवाई।

#### 2. आवास योजना का MIS लागू करना।

#### 3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

#### 4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

#### • NULM से संबंधित कार्य :-

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

### ➤ प्रशाखा-05 :-

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-

- नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

#### 6. नगरीय प्रशासन :-

- "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUJDC एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
- अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

#### 7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

#### ➤ प्रशाखा-6 :-

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

#### ➤ प्रशाखा-07 :-

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Double Entry Accounting System को Roll Out कराना।

#### ➤ प्रशाखा-8 :-

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

#### ➤ प्रशाखा-9 :-

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।



➤ **प्रशाखा-10 :-**

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक प्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा-11 :-**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास :-**

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस-पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते हैं।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-**

- (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

3. **TCPO कार्यालय का सुदृढीकरण।**

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :-**

- (i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
- (ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।